संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं
मध्यप्रदेश

क्रमांक/NHM/NTCP/9082 भोपाल, दिनांक 24-08-2018

प्रति,

1. समस्त जिला कलेक्टर,
2. समस्त पुलिस अधीक्षक,
3. समस्त आयुक्त, नगर निगम
   मध्य प्रदेश।

विषय :— अवैद्य संचालित हुक्का बार/केंद्रो में कार्यवाही किये जाने बाबत्।

संदर्भ :— संचालनालय का पत्र कमांक–7/लो.स्वा./एन.टी.सी.पी./2012/5 भोपाल दिनांक 04/01/2013।

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन हो जिसमें कॉफी शॉप/ रेस्टोरेंट की आड में चल रहे हुक्का केन्द्रों में धूमपान के संबंध में कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था, लेकिन वर्तमान में भी हुक्का केंद्रों के संचालन एवं उनमें धूम्रपान कराये जाने से संबंधित जानकारी प्राप्त हो रही है, जिसमें अवयस्क भी धूम्रपान करा रहे है जो कि अत्यंत चिंताजनक है।

भारत शासन द्वारा सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिबंध और व्यापार एवं वाणिज्य उत्पादन आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 की धारा 4 के अन्तर्गत समस्त सार्वजनिक स्थानो पर धूम्रपान करना दण्डनीय अपराध है। धूम्रपान अन्तर्गत तम्बाकू का उपयोग कर बनाए गये किसी भी उत्पाद का धूम्रपान शामिल है जैसेः— सिगरेट, बीड़ी, पाईप, हुक्का इत्यादि।

अतः उक्त के सम्बध में आप निरीक्षण दल गठित कर आपके जिले में चल रहे हुक्का बार/हुक्का केंद्र का औचक निरीक्षण कराये एवं हुक्का में उपयोग किए गये पदार्थ का सेंपल लेकर खाद्य एवं औषधि प्रशासन प्रयोगशाला में जॉच कराये एवं तम्बाकू का उपयोग पाये जाने पर तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही करना प्रारंभ करें, बनाये जाने वाले निरीक्षण दल में राजस्व विभाग का प्रतिनिधि, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अथवा प्रतिनिधि, नोडल अधिकारी एन.टी.सी.पी, खादय एवं औषधि प्रशासन का निरीक्षक, पुलिस सब इंसपेक्टर अथवा उससे उच्च अधिकारी एवं आबकारी विभाग का अपर निरीक्षक अथवा उच्च अधिकारी को शामिल किया जावें।

इन हुक्का केन्द्रों में अवयस्कों को धूम्रपान कराये जाने, अवयस्कों के द्वारा काम कराये जाने अथवा तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य धूम्रपान निषेध संबंधी सूचना बोर्ड न लगे होने पर यथोचित कार्यवाही कर राज्य की एन.टी.सी.पी. शाखा को अवगत करायें।

21/8/18

(पल्लवी जैन गोविल)
आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं म.प्र

पृ.क्र / NHM/NTCP/9083 भोपाल, दिनांक 24-08-2018

प्रतिलिपि :—सूचनार्थ प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय, भोपाल।
3. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र.।
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, म.प्र.।
5. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्य प्रदेश।
6. समस्त जिला नोडल अधिकारी, एन.टी.सी.पी., मध्य प्रदेश।

आयुक्त स्वास्थ्य

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं म.प्र